सँख्याः 540 /XXIV-2/2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरॉचल, देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून दिनॉक 19/21 मार्च ,2005

विषयः इण्टरमीडिएट कालेज– पुलहिन्डोला, चम्पावत का प्रान्तीयकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सँख्याः नियोजन–1/ 36218/ इण्टर कालेज पुलहिन्डोला/(प्रान्ती0) 2003–04 दिनॉक 3–1–2005 के संदर्भ में श्री राज्यपाल महोदय, इण्टरमीडिएट कालेज– पुलहिन्डोला, चम्पावत का प्रान्तीयकरण के शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा वास्तविक रूप से अधिग्रहण की तिथि जो भी बाद में हो, से प्रान्तीयकरण किये जाने एवं विद्यालय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश के दिनॉक अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से 28 फरवरी,2006 तक बशर्ते कि यह पद इसके पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, निम्नवत 34 अस्थायी पदों को सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह पद शिक्षा विभाग के संबंधित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे। इन पदों के पदधारकों को समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगेः–

क0सं0	पदनाम	वेतनमान	सृजित पदों की संख्या
1	2	3	4
1–	प्रधानाचार्य	10000–15200	01(एक)
2–	प्रवक्ता	6500–10500	06(छः)
3–	सहायक अध्यापक एल0टी0	5500–9000	15(पन्द्रह)

4—	वरिष्ठ लिपिक	4000—6000	01(एक)
5—	कनिष्ठ लिपिक—	3050—4590	02(दो)
6—	दफ्तरी	2610—3540	01(एक)
7—	चतुर्थ श्रेणी	2550—3200	08(आठ)
		योग—	34(चौतीस)

2— चतुर्थ श्रेणी के 08 पद इस प्रतिबन्ध के साथ सृजित किये जाते हैं कि मानक से अधिक 06(छः) कनिष्ठतम चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को वार्षिक प्रबन्ध में अन्यत्र विद्यालयों में जहाँ पद रिक्त हों, स्थानान्तरित किया जायेगा और स्थानान्तरित कार्मिकों से रिक्त होने वाले यह 06 (छः) पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे और विद्यालय में तब 02 (दो) ही पद सृजित माने जायेंगे।

3— विद्यालय की समस्त चल/ अचल सम्पति शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने का अनुबन्ध पत्र तत्काल निष्पादित करा लिया जाय।

4— राज्यपाल महोदय प्रान्तीयकृत इण्टरमीडिएट के प्रधानाचार्य को अपने विद्यालय से संबंधित व्ययों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी भी घोषित करते हैं।

5— प्रान्तीयकरण की तिथि से इस विद्यालय का सम्पूर्ण व्यय राजस्व आय—व्ययक से सीधे सरकारी खर्च के रूप में वहन किया जायेगा तथा अन्य राजकीय विद्यालयों की भाँति इस विद्यालय को भी जिला शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक अधिकार में दिया जायेगा जो शिक्षा निदेशक उत्तरांचल द्वारा प्रसारित सामान्य नियमों के अनुसार इसका संचालन करेंगे। प्रश्नगत विद्यालय की भूमि / भवन आदि सभी चल तथा अचल सम्पति का शासन को स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। विद्यालय की आय में (प्रान्तीयकरण की तिथि से तथा विद्यालय की अवशेष क्लेम की बकाया रकम, कोष चन्दे से प्राप्त रकम, दान से प्राप्त धनराशि तथा छात्रों से ली गई फीस की धनराशि सम्मिलित है) राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्त आय सम्बन्धित शीर्षक में जमा कर दी जायेगी। प्रान्तीयकरण पर यह विद्यालय बिना दायित्व तथा अन्य भार के शासन को सौंप दिये जायेंगे। प्रान्तीयकरण से पहले की देनदारी यदि बाद में निकल आयी, तो उसका दायित्व शासन पर नहीं होगा।

6– उपर्युक्त विद्यालय में वास्तविक रूप से कार्य कर रहे वर्तमान स्टाफ को, जो प्रान्तीयकरण की तिथि को निर्धारित योग्यता रखते हों, इस शासनादेश में स्वीकृत पदों के विपरीत अस्थायी रूप से नियुक्त किया जायेगा तथा इन पदधारकों की ज्येष्ठता का निर्धारण का पूर्ण अधिकार शासन तथा शिक्षा विभाग को होगा। इन पदधारकों को राजकीय सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण करना तभी सम्भव होगा, जब ये सक्षम अधिकारी अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा अन्ततः योग्य घोषित कर दिये जायेंगे। ऐसे प्रश्नगत स्टाफ का वेतन सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित होगा।

7– ऐसे पदधारक जो निर्धारित योग्यता न रखते हों अथवा जिन्हें शासन के सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न हो, का सरकारी सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण सम्भव न होगा जिन्हें कि उपरोक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाये। तदनुसार प्रश्नगत स्टाफ को चेतावनी दे दी जाय कि नियुक्ति अधिकारी अथवा विपरीत क्रम से उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी को लिखित रूप से दिये गये नोटिस के अनुसार उनकी सेवा किसी समय भी एक महीने की पूर्व नोटिस पर समाप्त कर दी जायेगी। ये कर्मचारी अपनी नई सेवा शर्तों को जो एक अस्थायी राज्य कर्मचारी के अनुरूप होगी, स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे।

7– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा –02 – माध्यमिक शिक्षा –आयोजनेत्तर –109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय–08– अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण के सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 436/XXVII-(4)/2005 दिनॉक 15–03–2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्याः 540 (1)/ XXIV-2/2005 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरॉचल, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— संयुक्त शिक्षा निदेशक कुमायूँ मण्डल—नैनीताल।
5— जिला शिक्षा अधिकारी— चम्पावत।
6— जिलाधिकारी— चम्पावत।
7— कोषाधिकारी— चम्पावत।
8— अपर सचिव, शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
9— संबंधित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
10— एन0आई0सी0, उत्तरॉचल, देहरादून।
11— वित्त विभाग।
12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव